

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No. 07453-230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023-24/ 4413

दिनांक 31.7.2024

निमित्त:-

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राजस्थान जयपुर ।


विषय :- वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव FP/RJ/Other/25462/2017 संत श्री आशाराम जी गौशाला समिति ग्राम लखावा कोटा के संबंध में राज्य सरकार से जारी ईडीएस के प्रत्युत्तर बाबत।

प्रसंग:- उप वन संरक्षक कोटा का पत्रांक 4110 दिनांक 29.07.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव FP/RJ/Other/25462/2017 संत श्री आशाराम जी गौशाला समिति ग्राम लखावा कोटा के संबंध में राज्य सरकार से जारी ईडीएस के प्रत्युत्तर उप वन संरक्षक कोटा से प्राप्त होने के उपरान्त निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र.सं.	ईडीएस बिन्दु	प्रत्युत्तर
1.	उक्त प्रस्ताव की केएमएल फाइल देखने से ज्ञात होता है कि उक्त वनक्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करावे।	उक्त प्रस्ताव से संबंधित वन भूमि में गौशाला गत लगभग 20 वर्ष से संचालित है। जिसके संबंध में उक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सलंगन निरीक्षण दिनांक 01.11.2022 को किये गये मौका निरीक्षण की साईट निरीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से Violation टिप्पणी अंकित की गई है।
2	वन प्रत्यावर्तन के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर साईट विशिष्ट परियोजनाओं के लिए वनभूमि का डायवर्जन की श्रेणी में आना प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में टिप्पणी से अवगत करावे।	वनमण्डल कोटा के अनुसार उक्त प्रस्ताव से संबंधित वनभूमि में गौशाला गत लगभग 20 वर्ष से संचालित होने के कारण यह प्रत्यावर्तन प्रस्ताव स्वतः ही साईट विशिष्ट परियोजना की श्रेणी में आ जाता है।



(रामकरण खैरवा)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा